न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 05/2025

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, पिण्डवाडा जिला सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री प्रभूराम पुत्र श्री चौपाराम जाति माली निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल प्रो. हरिओम नाश्ता हाउस झाडौली, सिवेरा रोड झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 24.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.01.2025 को सोनल राणावत, प्रवर्तन निरीक्षक पिण्डवाडा एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से हरिओम नाश्ता हाउस, झाडोली सिवेरा रोड, झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी स्वयं द्वारा उपस्थिति दी गई, परन्तु जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 03.01.2025 को सोनल राणावत, प्रवर्तन निरीक्षक पिण्डवाडा एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से हरिओम नाश्ता हाउस, झाडोली सिवेरा रोड, झाडोली तहसील पिण्डवाडा [illegible] की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक [illegible] रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया, जिसका उपयोग दुकान [illegible] नाश्ता बनाने (व्यावसायिक) का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का [illegible] वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लि[illegible] पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन लिया हुआ है तथा खाली सिलेण्डर भरवाने के लिए उनके घर से लाकर दुकान में रखे था, जिनका उपयोग किया जाना संभव ही नहीं है, परन्तु उसी समय निरीक्षण दल द्वारा नियम विरूद्ध मेरे सिलेण्डर जब्त किया गया है, जो गलत है, जबकि अप्रार्थी के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया तथा न ही जांच के वक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग हो रहा था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा जब्त किए गए सिलेण्डर को पुनः दिलवाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा एक 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रैणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग घरेलू प्रयोजनार्थ ही किया जाता है, परन्तु उक्त दिवस को उसके घर का सिलेण्डर खाली होने से उन्हें घर से दुकान पर लाकर रखा था, जिसे प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया। इस सम्बन्ध में मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिया गया सिलेण्डर जिस भट्टी से जुडा हुआ था, उस भट्टी पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं अप्राथी द्वारा परिसर को नाश्ता इत्यादि बनाने के उपयोग में लिया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रैणी में आता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि दुकान में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डर की गैस डायरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि उक्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी स्वयं का था। चूंकि कब्जे सरकार लिया गया सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाता है परन्तु हरिओम नाश्ता हाउस, झाडोली सिवेरा रोड, झाडोली तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण नाश्ता बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये एक गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए एक गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मंद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 18:01:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner